न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:–103/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/103)

1. प्रधान पुत्र तेजा जाति जाट निवासी सुनारिया, तहसील सरवाड जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. बजरंग पुत्र तेजा, जाति जाट, निवासी सुनारिया, तहसील सरवाड जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सरवाड, जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए उप पंजीयक सरवाड।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.11.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 18/2019.

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उपस्थित:–

1. श्री राकेश अरोड़ा, हसन खान अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02, 03.
3. रेस्पोडेंट संख्या 01 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक:–24.05.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2019 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.11.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 188 व 92 ए बाबत विभाजन, इंद्राज दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया। उपरोक्त प्रस्तुत वार पत्र दिनांक 28.02.2019 को दर्ज कर नोटिस जारी किए गए जिस पर अपीलांट/प्रतिवादी को नोटिस जारी किए जाने के आदेश पारित किए गए व दिनांक 4.11.2019 को बिना विधिवत तामिल के एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त दिनांक को ही जवाबदावा बंद कर मिसल वास्ते जवाब सरकार नियत की गई व इसके पश्चात एकपक्षीय कार्यवाही अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 4.11.2019 को की जाकर एकपक्षीय डिक्री दिनांक 13.8.2020 को पारित किए जाने के आदेश दिए गए थे एवं उसके पश्चात पत्रावली में तहसीलदार से

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

पालना रिपोर्ट तलब किए जाने के आदेश दिए गए है, जिस बाबत बिना अपीलांट को नोटिस जारी किए बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाई जाकर दिनांक 26.12.2020 को प्रारंभिक डिक्री की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का कचौलिया द्वारा तैयार रिपोर्ट दिनांक 23.11.2020 को तहसीलदार सरवाड द्वारा दिनांक 29.12.2020 को उपखण्ड अधिकारी सरवाड को प्रेषित किया गया है, जिस पर दिनांक 25.11.2021 को उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा बिना मौके पर तहसीलदार द्वारा गए बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए पूर्व में प्रेषित मौका पर्चा जो कि पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक हरपुरा द्वारा दिनांक 26.10.2020 को बनाया गया है, के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित किए गए। माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2019 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.11.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 188 व 92 ए बाबत विभाजन, इंद्राज दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया। वादग्रस्त आराजीयात गत खसरा संख्या 98, 100, 272, 279, 706 कुल किता 5 कुल रकबा 3.04 हैक्टर वाके ग्राम जंगल सुनारिया तहसील सरवाड जिला अजमेर स्थित है, जो कि रास्व अभिलेख में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 व अपीलांट की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी में 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज है। उपरोक्त 1/2 हिस्से की आराजीयात बाबत विभाजन किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति प्रदान की जावे व राजस्व अभिलेख में इंद्राज किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त प्रस्तुत वार पत्र दिनांक 28.02.2019 को दर्ज कर नोटिस जारी किए गए जिस पर अपीलांट/प्रतिवादी को नोटिस जारी किए जाने के आदेश पारित किए गए व दिनांक 4.11.2019 को बिना विधिवत तामिल के एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त दिनांक को ही जवाबदावा बंद कर मिसल वास्ते जवाब सरकार नियत की गई व इसके पश्चात एकपक्षीय कार्यवाही अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 4.11.2019 को की जाकर एकपक्षीय डिक्री दिनांक 13.8.2020 को पारित किए जाने के आदेश दिए गए थे एवं उसके पश्चात पत्रावली में तहसीलदार से पालना रिपोर्ट तलब किए जाने के आदेश दिए गए है, जिस बाबत बिना अपीलांट को नोटिस जारी किए बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाई जाकर दिनांक 26.12.2020 को प्रारंभिक डिक्री की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का कचौलिया द्वारा तैयार रिपोर्ट दिनांक 23.11.2020 को तहसीलदार सरवाड द्वारा दिनांक 29.12.2020 को उपखण्ड अधिकारी सरवाड को प्रेषित किया गया है, जिस पर दिनांक 25.11.2021 को उपखण्ड अधिकारी सरवाड द्वारा बिना मौके पर तहसीलदार द्वारा गए बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए पूर्व में प्रेषित मौका पर्चा जो कि पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक हरपुरा द्वारा दिनांक 26.10.2020 को बनाया गया है, के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित किए गए। अपीलांट व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

रेस्पोडेंट/वादी के मध्य पारिवारिक राजीनामा 50 वर्ष पूर्व हो रखा है जिस अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। रेस्पोडेंट को उक्त संदर्भ में समस्त जानकारी होने के उपरांत भी अवैध रूप से राजस्व वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें बिना पक्षकारान की सुनवाई किए बिना एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की नोटिस सुनवाई हेतु अपीलांट को जारी नहीं किए गए ना ही किसी प्रकार की तामिली अपीलांट पर की गई है। बिना व्यथित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकपक्षीय रूप से पारित निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। आक्षेपित निर्णय व डिक्री में अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाकर प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.8.2020 को पारित की गई है व इसके उपरांत तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेश पारित किए गए है। किंतु उक्त अंतिम डिक्री से पूर्व तहसीलदार द्वारा मौके पर पक्षकारान को नोटिस दिए बिन एकपक्षीय रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक से तैयार करवाई जाकर उपखण्ड अधिकारी सरवाड को प्रेषित की गई है। जिसके आधार पर अंतिम निर्णय दिनांक 25.11.2021 पारित कर डिक्री दिनांक 17.12.2021 को पारित की गई है। प्रकरण में अपीलांट/प्रतिवादी की उपस्थिति दर्शायी जाकर बंटवारे हेतु एतराज नहीं होना वर्णित करते हुए निर्णय दिनांक 25.11.2021 पारित किया गया है जबकि उक्त बावत किसी प्रकार की सहमति अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं दी गई है। आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वास्ते बहस प्रारंभिक डिक्री पत्रावली दिनांक 30.7.2020 को वास्ते एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अंतिम आदेश दिनांक 13.8.2020 को नियत की गई इसके उपरांत अपीलांट व उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय रूप से प्रेषित नक्शे कुरेजात के आधार पर अंतिम निर्णय दिनांक 25.11.2021 को पारित किया गया है जिसके आधार पर डिक्री दिनांक 17.12.2021 को निर्मित की गई है। अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं के द्वारा तलबी नोटिस जारी किए जाने के आदेश पारित किए है किंतु किसी प्रकार की तामिली जारी नहीं कर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर अपीलांट को उसके अधिकारों से महरूम किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री दिनांक 13.8.2020 के अनुसार में पत्रावली में तहसीलदार, सरवाड को मौके पर जाकर स्वयं बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए जोन हेतु आदेश दिए गए है इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा प्रारंभिक डिक्री की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक हरपुरा एव पटवारी हल्का कचोलिया द्वारा तैयार प्रस्ताव दिनांक 26.10.2020 जिस पर काउन्टर गिनेचर दिनांक 23.11.2021 को तहसीलदार द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड द्वारा उक्त प्रेषित नक्शे कुरेजात दिनांक 29.12.2020 के आधार पर अंतिम निर्णय पारित कर डिक्री जारी किए जाने के आदशे दिए गए है एवं दिनांक 17.12.2021 को अंतिम डिक्री निर्मित की गई है, जो अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए पारित किए जाने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल के आज्ञापक प्रावधान नियम 18 से 21 के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। द्वितीयक बिना तहसीलदार के मौके पर जाए बिना अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन नियम 18, 19, 20 व 21 की अनुपालना में किए पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित नक्शे कुरेजात को यथा

Scanned with CamScanner

प्रस्तावित वर्णित कर प्रेषित किया गया है जिसमें मुख्य सड़क के सहारे–सहारे की आराजीयात को रेस्पोडेंट संख्या 1 के हिस्से में दर्शाया जाकर पृष्ठ भाग की आराजीयात को अपीलांटस को दिया गया है जो कि प्रथम दृष्टया ही न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने एवं पक्षकारान के हितों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 4.11.2019 को अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध की जाकर प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.8. 2020 को पारित की गई है व इसके पश्चात बिना पक्षकारान को नोटिस जारी किए पारित आदेश के विपरीत पटवारी हल्का से बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर दिनांक 29.12.2020 को विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड को प्रेषित किए गए है व विचारण न्यायालय द्वारा उक्त संदर्भ में नक्शे कुरेजात अप्राप्त होने पर दिनांक 25.3.2021 को पुनः तहसीलदार सरवाड को बंटवारानामा तैयार करवाकर लिखा गया है एवं तहसीलदार द्वारा उक्त पूर्व प्रेषित नक्शे कुरेजात व दिनांक 23.11.2021 को काउन्टर सिगनेचर किए जाकर पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट में प्रस्तुत किए गए है जिससे उक्त तहसीलदार, सरवाड द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव को वादी द्वारा स्वीकार किया जाना अंकन करते हुए दिनांक 25.11.2021 को ही अंतिम निर्णय पारित किया जाकर उक्त अनुपालना में डिक्री दिनांक 17.12.2021 को निर्मित की गई है जो कि प्रथम दृष्टया ही न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए आज्ञात्मक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2019 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.11.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2016–17 (Supp.) पेज 711,आर.बी.जे. (24) पेज 299, आर.बी.जे.(28) पेज 77 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि प्रकरण सरकार फोरमल पक्षकार है इसलिए मेरिट पर बहस करना आवश्यक नही है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/रेस्पोडेंट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारे की आज्ञाप्ति की उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी प्रस्तुत किया जिस बावत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आशय का राजस्व वाद प्रस्तुत किया जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.8.2020 प्राथमिक डिक्री जारी कर वादग्रस्त आराजीयात बाबत बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया व प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जिसकी पालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा दिनांक 16.12.2020 को बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट मुर्तिब की गई उक्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) में अपीलांट को किसी प्रकार से मौका रिपोर्ट बनाने बाबत् सूचित नहीं किया गया है तथा मौके रिपोर्ट में भी अप्रार्थी को अनुपस्थित दर्शाया गया है जबकि बंटवारा प्रस्ताव मुर्तिब करते समय कोई सूचना अप्रार्थी/अपीलांट को दी गयी है ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इस प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा <u>अपीलांट/प्रतिवादीगण</u>

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट बाबत आपत्ति प्रस्तुत किए बिना ही उक्त बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री बाबत आदेश दिनांक 25.11.2021 को पारित किये है एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न पटवारी हल्का कचौलिया द्वारा तहसीलदार, सरवाड़ को जारी पत्र दिनांक 29.12.2020 में तहसीलदार, सरवाड़ को जारी किया गया है जिसमें कथन किया गया है कि बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान् की सेवा में सादर पेश है। उक्त पत्र के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव के समय पर तहसीलदार, सरवाड़ मौके पर उपस्थित नहीं थे केवल पटवारी हल्का के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। हम अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. (28) 2021 पेज 77 से हम सहमत है कि "नियम 18 से 21–यह बाध्यकारी (mandatary) है कि तहसीलदार, स्वयं मौके पर जाकर विभाजन के प्रस्ताव तैयार करे"। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत नहीं होने के कारण उक्त आलौच्य आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.11.2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे तहसीलदार स्वयं से बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवायें तथा मौका रिपोर्ट बाबत सभी पक्षकरों को आपत्ति प्रस्ताव प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए, आपत्ति का विधि सम्मत निस्तारण करते हुए कर पुनः नए सिरे से निर्णय प्रदान करे।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2019 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.11.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपरोक्त निर्देशानुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner